पत्र संख्या–6/योजना–01–20/2016गृ0आ0........................../

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

पुलिस महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

पटना, दिनांक मार्च, 2016

विषयः– **महिला पुलिस कर्मियों के लिए प्रत्येक थाने में शौचालय एवं स्नानागार निर्माण योजना के कार्यान्वयन हेतु थाना अध्यक्षों के पदनाम से बैंक खाता खोलने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकार के 7 निश्चय के अन्तर्गत राज्य के सभी थानों में महिला पुलिस कर्मियों के लिए 2 अद्द शौचालय एवं 2 अद्द स्नानागार का निर्माण किया जाना है। इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–15.02.2016 को आयोजित बैठक की कार्यावाही की कण्डिका–5 एवं 6 में अंकित निर्णय "बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना Fund Channelizing Agency तथा संबंधित थाना के थानाध्यक्ष Executing Agency की भूमिका निभायेंगे" के संदर्भ में प्रत्येक थाना के थानाध्यक्ष के पदनाम से बैंक खाता खोलने की अनुमति वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त के आलोक में माह अप्रैल, 2016 के प्रथम सप्ताह तक प्रत्येक थाना के थानाध्यक्ष के पदनाम से बैंक खाता खुलवाना सुनिश्चित किया जाय। संबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक समय–समय पर बैंक खाता एवं उससे जुड़ी लेखा पंजी, चेक निर्गत पंजी आदि के संधारण का निरीक्षण एवं जाँच नियमित रूप से करेंगे।

उपरोक्त में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–

(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–6/योजना–01–20/2016गृ0आ0 2466 ..../ पटना, दिनांक 30 मार्च, 2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, बिहार, पटना/सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.3.16
सरकार के प्रधान सचिव